तार: [illegible] खीरी

फोन नं0 263262 (कार्या)

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

ग्राम–भन्सारिया, पो0–उदयपुर, लखीमपुर–खीरी (उ0प्र0) 262701

पत्रांक 2835 / A-18 / 123 दिनांक 1/9/2026

सेवा में

मुख्य अभियंता (ग्रामीण)
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

विषयः – **हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "पानी की टंकी बनी शोपीसःदूषित पानी पीने को ग्रामीण मजबूर" के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में दिनांक 01.09.2026 को प्रकाशित खबर "पानी की टंकी बनी शोपीसःदूषित पानी पीने को ग्रामीण मजबूर" प्रकाशित हुई थी, उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि मरूआ पश्चिम पाइप पेयजल योजना जल निगम की पूर्व निर्मित योजना है जिसका निर्माण वर्ष 2008–2009 है। उक्त पाइप पेयजल योजना को पूर्ण रूप से संचालित कराये जाने हेतु पुर्नगठन पेयजल योजना में कार्यदायी एजेन्सी मै० एन०सी०सी० लि० को आवंटित है। उक्त योजना का निर्माण कार्य दो जोन में कराया जाना प्रस्तावित है। जिसके पूर्व निर्मित जोन–1 में आंशिक जलापूर्ति हो रही हैं परन्तु लीकेज होने के कारण जलापूर्ति बाधित हो गयी है वर्तमान में लीकेज मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। जोन–2 में भूमि विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नव निर्माणाधीन में कार्य बाधित हैं न्यायालय से आदेश प्राप्त होते ही अवशेष समस्त कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण कर जलापूर्ति सुचारु कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पूर्व निर्मित जोन–1 में शिरोपरि जलाशय की सीढ़ी व बाउण्ड्रीवॉल क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर गिर गयी है, जिसकी मरम्मत हेतु प्राक्कलन में अतिरिक्त कार्यों के साथ इसे भी सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत समस्त कार्यों को मार्च 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

g:\file's\sachin_sir\marua_paschim_paper_cutting_dm.docx

Scanned with CamScanner

(फोटोग्राफ्स)

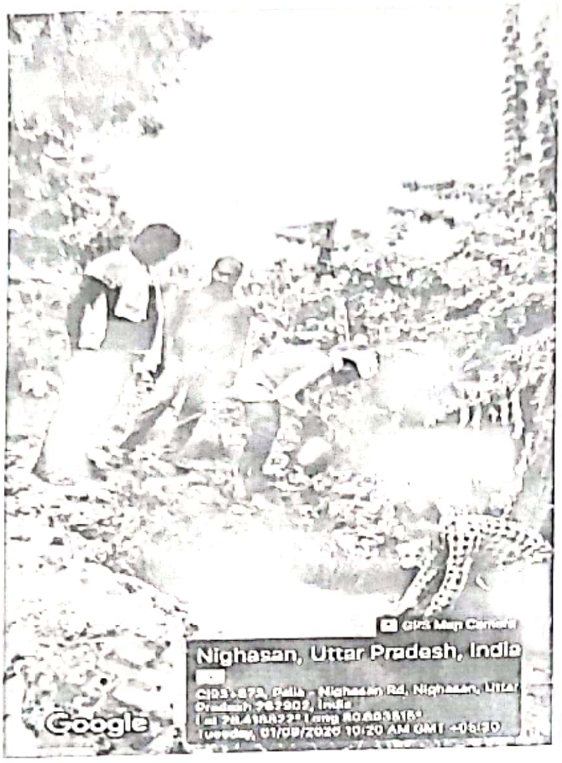

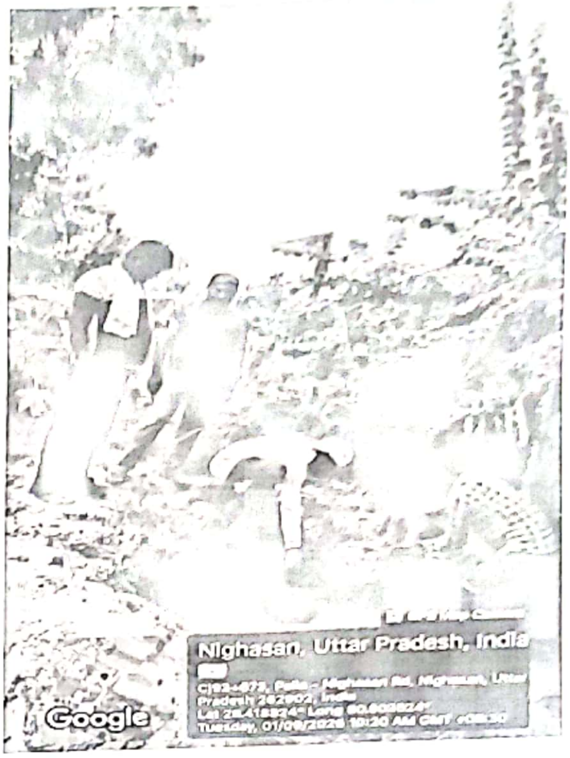

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखीमपुर खीरी।
3. सम्बन्धित सहा0 अभि0/जूनियर इंजी0 (खण्डान्तर्गत)।
4. मो0 जमाल, डी0पी0एम0, मै0 एन0सी0सी0लि0 लखीमपुर खीरी को इस आशय के साथ प्रेषित कि योजना के अवशेष कार्य पूर्ण करते हुए जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।

अधिशासी अभियन्ता

g:\file's\sachin_sir\marua_paschim_paper_cutting_dm.docx

Scanned with CamScanner